महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :रू.वि. / प0नि0का0. / 2025 / 2844-51 दिनांकः—24.09.2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषयः— विश्वविद्यालीय परीक्षाओं के प्रयोगात्मक / मौखिकी / आन्तरिक परीक्षा के अंकपर्ण निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 2025 अथवा इससे पूर्व वर्षो के कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रयोगात्मक / मौखिकी एवं आन्तरिक परीक्षा अंकपर्ण निर्धारित समयसीमा पश्चात विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड नहीं किये गये। जबकि विश्वविद्यालय द्वारा कई बार तिथि विस्तारित कर अवसर प्रदान किया गया। जिस कारण संबंधित महाविद्यालयों का परीक्षाफल अपूर्ण अथवा अघोषित है, जोकि अत्यन्त खेदजनक एवं समस्त के लिये असुविधाजनक है। आपके द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के अंकपर्ण निर्धारित समयान्तर्गत पोर्टल पर अपलोड नहीं करने के कारण सम्बन्धित छात्रों को परीक्षाफल घोषित करवाये जाने हेतु सीधे विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है जोकि सर्वथा अनुचित है।

परीक्षा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 01.12.2023 के संकल्प सं0 05 पर लिये गये निर्णय एवं कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.09.2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2025 अथवा इससे पूर्व वर्षो में विश्वविद्यालीय परीक्षाओं हेतु प्रयोगात्मक / मौखिक एवं आंतरिक परीक्षा के अंक विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विहित समय सीमा के अन्तर्गत ही पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये है। ऐसे महाविद्यालयों पर रू0 500 /— (रू0 पाच सौ मात्र) प्रति विषय / छात्र की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। उक्त अर्थदण्ड महाविद्यालयों को वहन करना होगा, छात्रों से उक्त अर्थदण्ड की वसूली नहीं की जायेगी। यदि छात्रों से वसूली की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित महाविद्यालयों के खिलाफ विश्वविद्यालय अपने स्तर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी
2. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी।
3. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. उप कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)
5. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा / गोपनीय)
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
7. प्रतिनिधि, संबंधित एजेन्सी।

परीक्षा नियंत्रक